न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 13/2019 दायर दिनाँक 11.01.2019

वादी

1. कानाराम पुत्र पीथाराम उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र गणपतराम
2. पुरणाराम पुत्र गणपतराम
3. रामनिवास पुत्र गणपतराम
4. उमाराम पुत्र पीथाराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. मेनेजर एस.बी.आई. शाखा धनकोली
6. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **30.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा की शरहद में खेत खसरा सं0 171 रकबा 2.8600 हैक्टे0, खसरा सं0 299 रकबा 0.100 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की सामलाती व पैत्रिक कब्जा काश्त की जमीन है।

उक्त खसरान में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 25.08.2022 को तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने [illegible] 650 दिनाँक 14.09.2022 [illegible] प्रस्तावित के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार [illegible] बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत है। बंटवारा प्रस्तावित [illegible] तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 650 दिनाँक 14.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 171 रकबा 2.8600 हैक्टे0, खसरा सं0 299 रकबा 0.100 हैक्टे0 वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादीगण घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 650 दिनाँक 14.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 650 दिनाँक 14.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 13/2019 दायर दिनाँक 11.01.2019

वादी

1. कानाराम पुत्र पीथाराम उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र गणपतराम
2. पुरणाराम पुत्र गणपतराम
3. रामनिवास पुत्र गणपतराम
4. उमाराम पुत्र पीथाराम समस्त जाति जाट निवासी पीपला का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. मेनेजर एस.बी.आई. शाखा धनकोली
6. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—188, 53, 88

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 171 रकबा 2.8600 हैक्टे0, खसरा सं0 299 रकबा 0.100 हैक्टे0 वाकै सरहद पीपला का बास की भूमि में वादीगण घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 650 दिनाँक 14.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 650 दिनाँक 14.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—........ ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner